

न्यायालय श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी व सहायक जिलाधीश, मसूदा

राजस्व प्रा0 पत्र सं0 24/2011

1. श्रीमती कमला पत्नी घीसालाल जाट, जाति - जाट, आयु-बालिग, निवासी - बरल द्वितीय, तहसील मसूदा जिला अजमेर।

— प्रार्थीगण

बनाम

1. धन्ना पिता श्री हजारी माली, जाति - माली, आयु - बालिग, निवासी - बरल द्वितीय।
2. धर्मा पिता श्री हजारी माली, जाति - माली, आयु - बालिग, निवासी - बरल द्वितीय।
3. श्रीमती छोटी पत्नी श्री रामपाल जाति - माली, आयु - बालिग, निवासी - बरल द्वितीय।
4. रामदेव पिता रामपाल, जाति - माली, आयु - बालिग, निवासी - बरल द्वितीय, समस्त तहसील मसूदा जिला अजमेर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मसूदा जिला अजमेर।

— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

:- निर्णय :-

दिनांक 13.06.2016

उपस्थित :-

1. श्रीमती कमला
2. श्री धन्ना व अन्य

इस प्रार्थना पत्र में प्रार्थिया कमला ने सारांशतः निवेदन किया है कि बरल द्वितीय तहसील मसूदा स्थित अराजी खसरा न0 637 रकबा 00-01-10 बिस्वा व 638 रकबा 2 बीघा कुल किता 2 रकबा 02-01-10 बीघा भूमि उसकी खुदकाशत खातेदारी भूमियां है जिसकी सीमा को लेकर पडोसी खातेदारान अप्रार्थीगण 1 से 4 के मध्य विवाद होता रहता है जिसके कारण प्रार्थिया को अपने खेतों पर काशत करने में परेशानी उठानी पडती है। अप्रार्थीगण से आम सहमति से पत्थरगढी कराने हेतु निवेदन करने पर उन्होंने मना कर दिया है अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना पडा है। कृपया स्वीकार कर पत्थर गढी करने के आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण आज न्याय आपके द्वार कार्यक्रम में ग्राम पंचायत मुख्यालय बरल द्वितीय पर पेश हुआ। प्रार्थिया एवं अप्रार्थिया उपस्थित। उन्हें सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम बरल द्वितीय की जमाबंदी संवत् 2066-2069 के खाता सं0 20 की अराजी खसरा न0 637 रकबा 00-01-10 व 638 रकबा 02 बीघा में प्रार्थिया खातेदार है अतः वह अपने खेतों की पत्थरगढी करवाने की अधिकारिणी पाई जाती है। प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

तहसीलदार बिजयनगर को प्रकरण में रु. 500/- पर मौका कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिये जाते हैं कि वह ग्राम बरल द्वितीय स्थित अराजी खसरा न0 637 व 638 की पत्थरगढी करावें।

निर्णय आज दिनांक 13.06.2016 को "न्याय आपके द्वार" कार्यक्रम मुकाम बरल द्वितीय पर मजमें आम में सुनाया जाता है।



उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर मसूदा

